भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3381

09 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र का योगदान

3381. श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात के योगदान को देखते हुए सरकार का 2017-18 से 2021-22 तक तीव्र गति से इस्पात के उत्पादन तथा खपत और निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास के लिए वर्ष-वार कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) और (ख): इस्पात क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैं:-

i. इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017

ii. सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति।

iii. देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे संभावित हितधारकों के साथ सहभागिता।

उपरोक्त पहलों के दृष्टिगत, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल तैयार इस्पात का उत्पादन, खपत और निर्यात निम्नानुसार बढ़ा है:-

i. कुल तैयार इस्पात का उत्पादन वर्ष 2017-18 में 95.01 मीट्रिक टन (एमटी) से वर्ष 2021-22 में 113.60 एमटी तक बढ़ा है।
ii. कुल तैयार इस्पात की खपत वर्ष 2017-18 में 90.71 एमटी से वर्ष 2021-22 में 105.75 एमटी तक बढ़ी है।
iii. कुल तैयार इस्पात का निर्यात वर्ष 2017-18 में 9.62 एमटी से वर्ष 2021-22 में 13.49 एमटी तक बढ़ा है।

(ग) और (घ): वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए तथा आम लोगों के लिए गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।
ii. देश में ही विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष इस्पात' हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

****